निग/2723/II/15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–टीकमगढ

1– दिलीप खरे पुत्र श्री जगदीश सहाय खरे निवासी – जानकी बाग, आर–41 गंजीखाने के पास टीकमगढ़ (म.प्र.)

2– डॉ. चन्द मोहन भटनागर पुत्र श्री सियाशरण भटनागर राजवैध निवासी – बडे पुल के पास टीकमगढ़ (म.प्र.)

...... आवेदकगण

श्री [illegible] अधि. 21.8.15 को द्वारा आज दि. प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ (म.प्र.)

...... अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/2014–15 स्वमेव निगरानी में कारण बताओ नोटिस दिनांक 30.07.2015 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, आवेदकगण समाजिक कार्यकर्ता है, तथा आवेदक क्रमांक 2 प्रतिष्ठित वैध है, राजनैतिक प्रतिद्वन्दता के कारण टीकमगढ़ जिला प्रशासन के अपर कलेक्टर श्री शिवपाल सिंह ने आवेदकगण के भूमि मेब ने हुये निर्माण को बगैर सूचना दिये तोड़कर जे.सी.व्ही. से दिनांक 05.07.2015 को हटवाकर स्वामित्व की भूमि को अब राजसात करने की दूषित प्रक्रिया अमल में लाने के कारण अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 30.07.2015 को दिया गया।

2. यहकि, घटना दिनांक 05.07.2015 की है आवेदकगण के स्वामित्व की भूमि तहसीलदार टीकमगढ़ अन्तर्गत मौजा अनंतपुरा मे खसरा नं. 262/1 रकवा 2.58 एकड़ में स्थित निर्माण को अनावेदक क्रमांक 1 अपने अधीनस्थ अमले के साथ भारी पुलिस के साथ मौके पर पहुँचकर निर्माण को जे.सी.व्ही. मशीन से तुडवाना प्रारंभ किया। तो मौके पर आवेदक क्रमांक 1 ने पहुँच कर विरोध किया कि यह मेरी पटेती भूमि है। उसका में सींमांकन करा चुका है मैने सींमाकन रिपोर्ट दिखाई तो अनावेदक क्रमांक 1 ने कहा कि मुझे अधीनस्थ कर्मचारियो ने रिपोट की है कि यह शासकीय भूमि क्रमांक 126 तलैया का रकवा है। तब आवेदक ने कहा कि यदि

IX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक नि. 2723/दो/15 जिला टीकमगढ़

दिलीप खरे मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-9-15	आवेदक अभि० श्री दिलीप खरे उपस्थित। उन्हे प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अभि० ने अपने तर्कों मे वही तथ्य प्रस्तुत किये गये जो निगरानी मेमो मे अंकित है इसके अतिरिक्त उनके द्वारा मुख्य रूप से कहा गया कि स्व० निगरानी की शक्तियो का प्रयोग मात्र 180 दिन के अन्दर ही किया जा सकता है। स्व० निगरानी की शक्तियों का प्रयोग 25 वर्ष बाद नही किया जा सकता ऐसी स्थिति मे अपर कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस क्र० 19) स्व. नि. /2014-15 दिनांक 30-7-15 निरस्त करने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत तर्कों के समर्थन मे डब्लू.पी. N.5301/08 भागीरथ विरुद्ध म०प्र० शासन, मान० उच्च न्याया० खण्डपीठ जबलपुर के आदेश दिनांक 13-1-15 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई इसके अतिरिक्त 2010(III) MPJR(FB) 347-उ०न्या० पी० हाईकोर्ट बेंच ग्वालियर रनवीर सिंह विरुद्ध म०प्र०शासन की छाया प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। आवेदक अभि० द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं मान० उच्च न्याया० के न्याय सिद्धान्तों के अनुक्रम मे निगरा० मेमो के संलग्न कारण बताओ नोटिस का अवलोकन किया गया जिसमे अपर कलेक्टर द्वारा यह अंकित किया गया है कि विवादित भूमि वर्ष 1973-74 मे 78-79 तक के लिये कंजी पुत्र खीड़या चमार निवासी ग्राम तहसील टीकमगढ़ को अस्थाई पट्टेदार के रूप मे शासन द्वारा प्रदाय की गई थी। उक्त भूमि को आवेदक द्वारा बिना सक्षम अधिकारी कलेक्टर की अनुमति के	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 5-4-90 को आवेदी से क्रय कर लिया गया तथा उक्त भूमि को आपके (आवेदक) के द्वारा छोटे-2 टुकड़ो मे प्लाट के रूप में विक्रय किया जा कर खुर्दबुर्द किया जा रहा है उक्त पट्टे से प्राप्त भूमि के क्रय विक्रय से म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 165(7) का उल्लंघन किया जाना पाया गया है।	
	पट्टे से प्राप्त भूमि के विक्रय के संबंध मे यह सिद्धान्त स्पष्टतः प्रतिपादित किया गया है कि धारा-165(7) भूमि स्वामी अनुसूचित जाति का सदस्य है उसकी कृषि भूमि का अंतरण कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना नही किया जा सकता। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि जिसने सरकारी पट्टा प्राप्त कर भूमि स्वामित्व लिया है वह बिना इजाजत अन्तरण नही कर सकता। (मुलायम सिंह वि० कुंधुवा-2002 आर०एन०250)	
	उक्त प्रकरण मे उपरोक्त विश्लेषण से संहिता की धारा 165(7) का उल्लंघन होना प्रदर्शित प्रथम दृष्टया हो रहा है इसके अतिरिक्त अपर कलेक्टर द्वारा अभी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जो विचाराधीन है जिसमें अभी अंतिम निर्णय नही लिया गया है। जहां तक स्व० निगरानी के 180 दिवस की अवधि का प्रश्न आवेदक द्वारा उठाया गया है उस संबंध में - विविध विवाचक निर्णीत - स्व प्रेरणा से शब्द का प्रयोग - अवैधता या अनौचित्यता या अनियमितता की जानकारी होने के दिनांक से 180 दिवस की अवधि के भीतर किया जा सकता है। जिसके अनुरूप भी अपर कलेक्टर द्वारा जानकारी दिनांक से निर्धारित समयावधि के भीतर की जाना परिलक्षित एवं प्रदर्शित हो रही है।	
	उपरोक्त विश्लेषण से मैं इस निष्कर्ष	

X-XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 2723/II/15 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पर पहुंचता हूं कि प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। सदस्य	

[कृ. प. उ.